INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP41970270041200W

Certificate No.	:	IN-UP41970270041200W
Certificate Issued Date	:	20-Jan-2024 03:38 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14685604/ MAHRAJGANJ SADAR/ UP-MHR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14685604799861391763 19W
Purchased by	:	AKASH SINGH SO RAJESH SINGH
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	AKASH SINGH SO RAJESH SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	AKASH SINGH SO RAJESH SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

वकल आवेदन सं0 102 24 के साथ बही नं0 I जिल्द/खण्ड सं 18

पृष्ठ सं0 353 406 कमांक सं0 14 .....दिनांक 27-3-2018

Please write or type below this line

अभिलेख हेतु कार्यालय मे उपलब्ध अभिलेख के अनुसार।

[redacted]

निबन्धक खिरकी

उप रावने महराजगंज

20-1-24

Statutory Alert

Scanned with OKEN Scanner

(iv) 14/18

ट्रस्ट-विलेख

ट्रस्ट का नाम	– वीरेन्द्र सिंह वेलफेयर ट्रस्ट
पता	– ग्राम जोगिया पोस्ट घुघली तहसील सदर जनपद महराजगंज
ट्रस्ट कोष	– 10,000/–रू0
स्टॉम्प	– 780/–रू0

हम आकाश सिंह वालिक पुत्र श्री राजेश सिंह निवासी ग्राम जोगिया, पोस्ट घुघली तहसील महराजंगज का निवासी हूँ।

.....मुख्य न्यासी (अध्यक्ष)

आकाश सिंह

1

सुनने वाला

उप निबन्धक

Scanned with OKEN Scanner

UTTAR PRADESH

हम न्यासी के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हमारी हार्दिक इच्छा रही है कि समाज में सुख, शान्ति, आपसी सदभाव सदाचार व शिक्षा, स्वास्थ एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताए भोजन, शिक्षा उत्त स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई–चारा सम्प्रदायिक ताल–मेंल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति–पाति धर्म और सम्प्रदाय कही से भी बाध न हो। मेधावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाए जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगो को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हमारे द्वारा एक कल्याकारी न्याय/ट्रट की स्थापना की जा रही है जिसका नाम **वीरेन्द्र सिंह वेलफेयर ट्रस्ट** होगा एवं ट्रस्ट का रजिस्टर्ड कार्यालय ग्राम जोगिया पो0 घुघली तहसील सदर जिला महराजगंज का होगा। हम न्यासी ने इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए मुवलिग 10,000/– रूपया (दस हजार रूपया) मात्र का एक न्यास कोष स्थापित कर दिया है।

2

Scanned with OKEN Scanner

विदित हो कि आज की तिथि में उपरोक्त न्याय के पास कुल चल व अचल सम्पत्ति मालियत मुवलिग 10,000/–रूपया (दस हजार रूपया) की है और आगे भी इस न्यासको उसमें विभिन्न उपयोग से धन की व्याख्या करते रहेंगे। हम मुख्य न्यासी ने अपने द्वारा स्थापित न्यास के प्रबंध एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र भी निष्पादित कर रहे है जिसमें निम्न रूपेण व्यवस्थाऐं है :–

1– यह कि हम न्यासी (अध्यक्ष) द्वारा स्थापित न्यास का नाम **वीरेन्द्र सिंह वेलफेयर ट्रस्ट** होगा एवं ट्रस्ट का रजिस्टर्ड कार्यालय ग्राम जोजिया पो0 घुघली तहसील सदर जिला महराजगंज जिसे इस न्यास पत्र में आगे **" न्यास अथवा ट्रस्ट"** शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2– यह कि न्यासी (अध्यक्ष) द्वारा स्थापित उक्त न्यास का रजिस्ट्रर्ड कार्यलय ग्राम जोगिया पो0 घुघली तहसील सदर जनपद महराजगंज में होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्यो का सुचार रूप से सम्पादित करने तथा इसके उददेश्यों की सुगत प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर भी विधि पूर्ण कार्यो का संचालन किया जा सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

3– यह कि हम न्यासी ट्रस्ट मजकूर संस्थापक अध्यक्ष होंगे और हम न्यासी न्यास के उक्त पदो के लिए निर्धारित अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रयोग कर न्यास की समुचित व्यवस्था करते रहेंगे। हम न्यासी द्वारा के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उददेश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है, को ट्रस्टी नामितत करता हूँ। भविष्य में हम न्यासी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टीयों की भी नियुक्ति की जा सकेगी हम न्यासी द्वारा नामित ट्रस्टीयों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। सदस्यों की कुल संख्या 11 से अधिक नही होगी। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुख्य न्यासी द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्यिों का विवरण निम्नलिखित है–

1– राकेश शाही पुत्र स्वं वशवहादुर शाही ग्राम जोगिया पोस्ट घुघली जनपद महराजगंज(सचिव)
2–उषा सिंह पत्नी राजेश सिंह ग्राम जोगिया पो0 घुघली तहसील सदर जनपद महराजगंज
3– राजेश सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह ग्राम जोगिया पो0 घुघली तहसील सदर जनपद महराजगंज
4–शत्रुघन सिंह पुत्र गौरी शंकर सिंह ग्राम हरपुर पकड़ी पो0 सिसवा बाजार तहसील निचलौल जनपद महराजगंज
5– सुनील तिवारी पुत्र रामनरायन तिवारी नगर पंचायत घुघली वार्ड–10 पो0 घुघली जनपद महराजगंज

आनन्दा सिंह

4

पढ़ने वाला सत्य प्रतिलिपि

सुनने वाला उप निबन्धक

Scanned with OKEN Scanner

UTTAR PRADESH 33AA 669258

6– सीमा सिंह पत्नी धर्मेन्द्र सिंह ग्राम पैकौली पो कटहरी तहसील निचलौल जनपद महराजगंज

7–गीता पत्नी विनोद शर्मा नं0पं0 घुघली वार्ड0 9 पोस्ट घुघली जनपद महराजगंज

8–शंकर पुत्र स्वं खदेरू ग्राम व पोस्ट बसन्तपुर जनपद महराजगंज

4–वह कि हम न्यासी (अध्यक्ष)द्वारा नाम **"वीरेन्द्र सिंह वेलफेयर ट्रस्ट"** ग्राम जोगिया पो0 घुघली तहसील महराजगंज जिला महराजगंज के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उददेश्य निम्नलिखित है:–

(1) समाज के सभी वर्ग के बालक बालिकाओं के शैशिक, शारीरिक ,मानसिक आध्यात्मि, चारित्रिक एवं बौद्विक विकास के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर जूनियर हाई स्कूल ,हाई स्कूल ,इण्टर , डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तंर एवं महिला महाविद्यालय एवं मैनेजमेन्ट, मेडिकल कालेज इन्जिनियरिंग कालेज, टेक्निकल , प्रोफेशनल कालेजों एवं लॉ कालेजो की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसका संचालन करना।

(2) शिक्षा की सुविधा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना बालक एवं बालिकाओं को सच्चरित्र नागरिक बनाना व संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं हेतु सी0बी0एस0सी0बोर्ड /आई0सी0एस0ई0 पैट्रर्न पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना तथा भारत के नवयुवक एवं नवयुवतियों को मकैनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल ट्रेड के साथ ही व्यवसायिक

पद ने बताया सत्य प्रतिलिपि

सुनने वाला उप निबन्धक

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 33AA 669269

प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे प्लेसमेन्ट के आधार पर स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योगों, प्राविधिक शिक्षा, प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना एवं कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना तथा निर्बलों के उत्थान हेतु कम्प्यूटर शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रसार–प्रसार करना तथा सामान्य जन में चेतना जागृत करना सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।

3) हिन्दू संस्कृति की रक्षा बसुधैव कुटुम्बकम की स्थापना करने के लिए प्रयास करना तथा अतिथि गृह, विवाह गृह का प्रबंध करना तथा समाज में सुख शान्ति आपसी सदभावना व शिक्षा स्वास्थ्य एवं नागरिकों आदर्श गुणों की स्थापना करना तथा समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूल भूत आवश्यकताऐं–भोजन शिक्षा आवास की निःशुल्क व्यवस्था करना ताकी शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हे **"वीरेन्द्र सिंह वेलफेयर ट्रस्ट"** द्वारा रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना एवं जनहित में उक्त कार्यो को संचालित करने के लिए अधिकाधिक लाभ प्रदान करना तथा समाज के विभिन्न स्तर के लोगों से महात्मा , बुद्व एवं विकलांग तथा निरीह लोगों की समुचित व्यवस्था समिति द्वारा करना एवं उनका सहायता करना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाना तथा पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कराना।

आम्रपाली सिंह

6 प्रतिनिधि

सुनने वाला उप निबन्धक

सुनने वाला उप निबन्धक

Scanned with OKEN Scanner

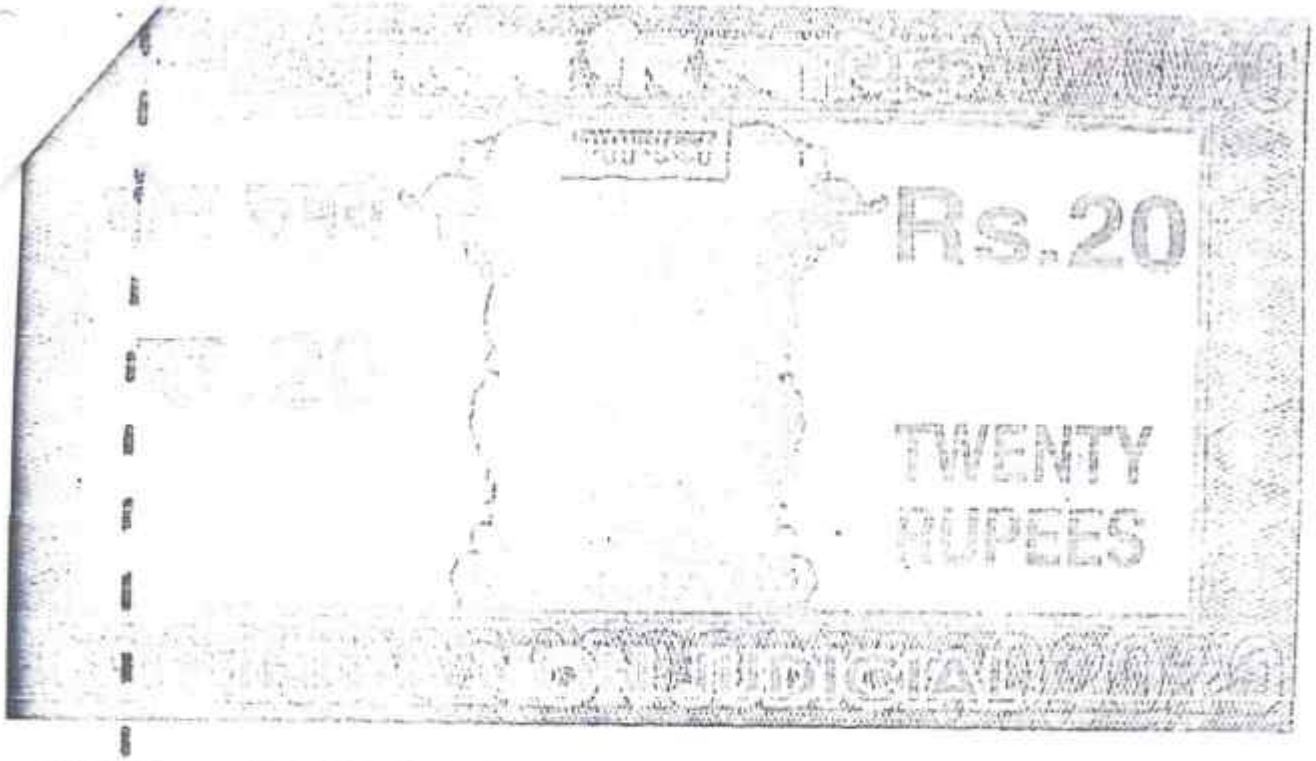

33AA 669257

(4) विद्यालयों की स्थापना करना एवं उसका प्रचार–प्रसार करना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जनमानस को सचेत करना तथा गरीब बालक एवं बालिकाओ की नि.शुल्क. एक मण्डप में शादी–विवाह का अयोजन करवाना तथा अन्य संस्कारो का प्रबंध करना तथा शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना और आम जनता मे चेतना जागृत कर उन्हे शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभा सम्पन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना तथा भारतीय स्वच्छता अभियान को सतप्रतिशत सफल बनाने में उपरोक्त ट्रस्ट के माध्यम से अथक प्रयास करना तथा समाज में फैले भष्ट्राचार को मिटाने हेतु सार्थक प्रयास कर हटाने में सहयोग करना तथा भारतीय संविधान के रचनात्मक कार्यो के सिद्धान्त को व्यवहार मे परिवर्तन करके विशेषकर महापुरूष गॉधी डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के सिद्धान्तों के तहत कार्य करना तथा इन लोगो के जीवन गाथा का प्रचार–प्रसार करना और लोगो को जागरूक करन

(5) लिंग भेद जाति–पाति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

(6) शिक्षा प्रचार–प्रसार, उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा तकनीकी गैर, तकनीकी शिक्षा, विधि शिक्षा, शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु विद्यालय, महाविद्यालय स्थापित करना व उसका संचालन करना।

(7) समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

आशीष सिंह

7

सुनने वाला

सुनने वाला

पढ़ने वाला

मान्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 33AA 669271

(8) शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियो के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजिनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी०सी०एस०, आई०ए०एस०, पी०सी०एस०जे०, जे०ई०ई०, ए०आई०ई०ई०ई०, आई०टी०आई०, पी०सी०एस० लोवर सब आर्डिनेट, सी०पी०एम०टी०, एस०एस०सी०, एम०बी०बी०एस०, बी०ए०, बी०एस०सी०, एम०एस०सी०, एम० काम०, एम०ए०टी०, सी०ए०टी०, सी०बी०आई०, इरिगेशन टेक्निकल एयर क्राफ्ट एवं सम्पूर्ण कोचिंग प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था करना व उसका संचालन करना तथा उसमें होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

(9) ट्रस्ट के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना तथा उनके न मिलने की दशा में सीट पुरूषो द्वारा भरा जा सकता है।

(10) अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गो के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबंध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

(11) युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे– सिलाई, कढाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर

अफशा सिंह

पढ़ने वाला मूल प्रतिलिपि

सुनने वाला उप निबन्धक

सुनने वाला उप निबन्धक

Scanned with OKEN Scanner

मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग, बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रो की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबंधन करना आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना अन्य ट्रस्ट/सोसाइटी द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों के संचालन का कार्य करना।

(12) खाद्य प्रस्संकरण जैसे–जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

(13) युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।

(14) विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे गूंगे, बहरे, अन्धो, अपंग, एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चो, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी वर्ग/गरीब बच्चो निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हे आत्मनिर्भर बनाना आदि बिना लाभ–हानि के अन्य छात्रावासों का निमार्ण व उसकी समुचित व्यवस्था करना आदि।

(15) वृद्धो के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना जिसमे मनोरंजन पढने लिखने एवं उन्हे खेलने की पूर्ण सुविधा हो।

अमिता सिंह

9

सुनने वाला

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 33AA 669266

(16) महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हे सरकारी सहायता दिलाना।

(17) सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बरात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, ड्रामा स्टेज प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबंध करना।

(18) सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधो को बडे पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण औषधियों एवं जड़ी बूटी वाले पौधो का उत्पादन

(19) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहुँचाना।

(20) राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यो के लोगो में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

(21) विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे यूनीसेफ, आई0सी0डी0एस0, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

पद नाम वाला — सत्य प्रतिलिपि

सुनने वाला — उप निबन्धक

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 33AA 669259

(22) घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी रोक–थाम, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।

(23) नशा के सेवन से छुटकारा पाने के लिए नशा–मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

(24) समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे अन्धविश्वास, बाल विवाह, दहेज–प्रथा, बाल–शोषण, बाल–श्रम, महिला–शोषण, लिंग–भेद, अस्पृश्यता, जाति–पाति एवं छुआ–छूत की भावना, स्वैछिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिये जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(25) युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना तथा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीडन मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

(26) सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढावा देना।

(27) विभिन्न प्रकार के खेलो को बढावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।

आकाश सिंह

11

सुनने वाला

पढ़ने वाला मूल प्रतिलिपि

सुनने वाला उप निबन्धक

Scanned with OKEN Scanner

(28) एडस, कैंसर, हेपेटाइटिस जैसे रोगो की जानकारी/रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता/ उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/ पैरामेडिकल महाविद्यालयों डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना व उसका संचालन करना।

(29) सरकार की सहायता से गॉवो एवं शहारो के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।

(30) कृषि उद्योग को बढावा देने के लिये नये–नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये–नये शोधित बीजो को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगो तथा किसानो का शिविर लगाकर उन्हे प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित कराना।

(31) प्राकृतिक आपदा जैसे हैजा, प्लेग, मुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगो की सहायता करना।

(32) उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुशासित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक

सुनने वाला

Scanned with OKEN Scanner

(33) पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान व कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रो की स्थापना करना।

(34) गरीब लोगो विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकी सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।

(35) सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्वे कार्य करना जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

(36) किसी अन्य सरकारी अथवा एन०जी०ओ० एसोसिएशन, ट्रस्ट के क्रियाकलापो में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस ट्रस्ट से मिलते हो।

(37) सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगो/संस्थाओं/तंत्रो/कम्पनी/दुकानो से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना।

(38) ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रियाकलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

(39) सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना तथा इनकी शर्तो की अनुपालन में न्यास की चल व अचल सम्पत्तियों को बंधक में देना।

आनन्द सिंह

सुमन डाला

5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टो से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार व विदेशी संगठनो से सहायता प्राप्त करना।

2– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।

– ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिये धन, सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि प्राप्त करना उनकी प्रबंध इकाईयों गठित करना।

– ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं की व्यवस्था के लिये शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

– ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढाने के लिये सतत प्रयास करना और आवश्यकता पडने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

Scanned with OKEN Scanner

6- ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

7- ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयो, शिक्षण केन्द्रो, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रो, गौ–शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्ति कर्मचारियों के लिये आचरण नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यो को करना।

8- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालन संस्थाओं के हित में व्यक्तियों संस्थाओं, सरकारी अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी, विभागो व विदेशी संगठनो से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतो से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।

9- ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित कार्यो को करना।

10- ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा 80–जी0 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।

11- ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों एवं डीम्ड यूनिवर्सिटी व इन्स्ट्च्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित आवश्यक कार्य करना।

15 आकाशसिंह

सुनने वाला

सुनने वाला

Scanned with OKEN Scanner

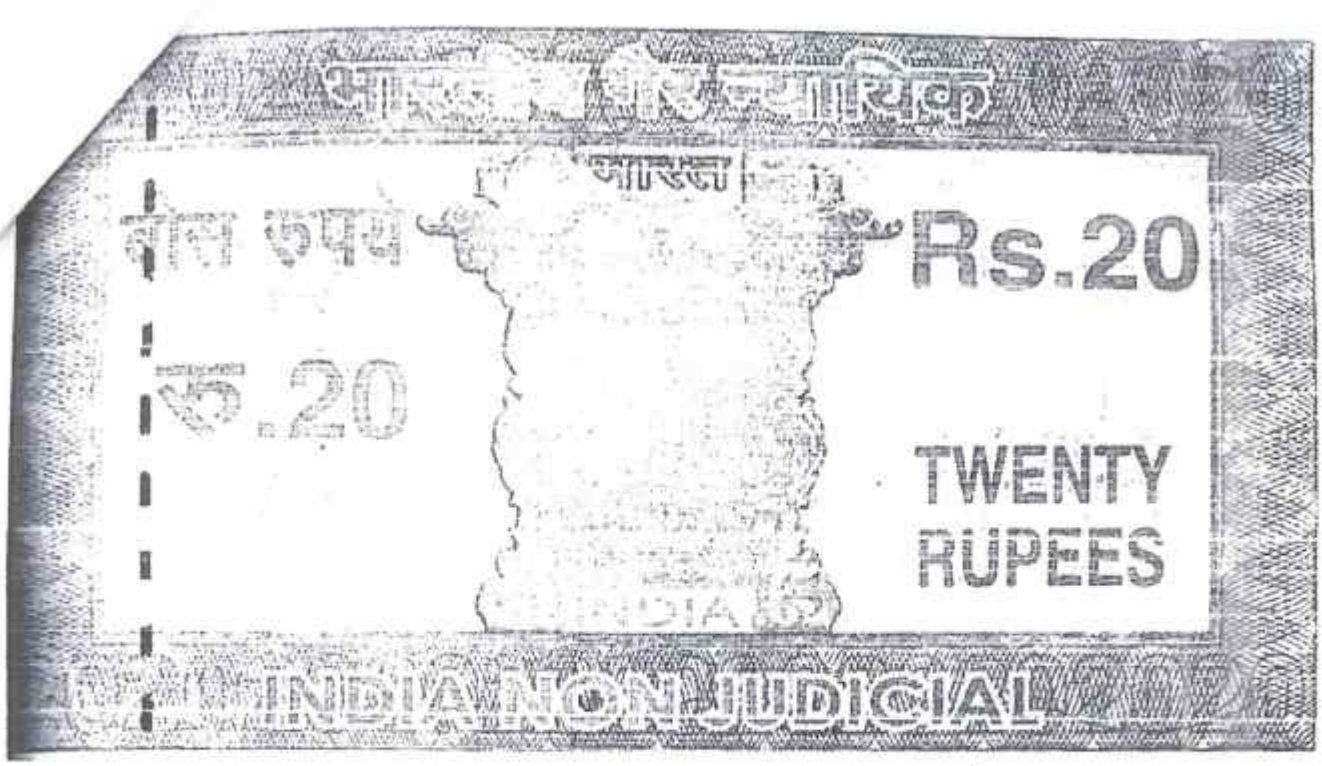

UTTAR PRADESH 33AA 669267

8- ट्रस्ट की प्रबंध व्यवस्था :-

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन :-

1- ट्रस्ट का संचालन ही मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) होंगें। मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा अपने जीवनकाल में ही अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित कर सकता है जो उनका विधिक वारिसान (पत्नी/पुत्र/पुत्री) होंगे इस प्रकार मुख्य ट्रस्टी अपनी वसीयत भी अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित कर सकता है। यदि किन्ही परिस्थितियो में मुख्य ट्रस्टी की अकालमृत्यु हो जाती है तो उनका उत्तराधिकारी विधिक वारिसान (पुत्र/पुत्री)(पत्नी/पुत्र/पुत्री) नामित किये बिना ही हो जायेगा ।

2- मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की स्थिति में उसके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी प्रत्यायोजन के आधार पर उसके कार्यो को निष्पादित करेगा।

3- मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) किसी भी समय ट्रस्टी को पदच्युत करने में सक्षम होगा इस प्रकार पदच्युत न किये जाने पर आजीवन ट्रस्टी जीवन भर ट्रस्ट मंण्डल का सदस्य बना रह सकेगा जबकि तदर्थ ट्रस्टी की कार्यवधि तीन वर्षो की होगी परन्तु उनकी पुननियुक्ति पर कोई निर्बन्धन नही होगा।

4- ट्रस्ट मंण्डल के किसी भी सदस्य के पदच्युत किये जाने व मृत्यु होने या त्यागपत्र देने अथवा ट्रस्ट विरोधी कार्य करने व पागल हो जाने पर तथा न्यायालय द्वारा दंण्डित किये

16

सुनने वाला उप निबन्धक

सुनने वाला उप निबन्धक

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 33AA 669265

जाने पर तथा दीवालिया होने पर मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा आवश्यकतानुसार सचिव की सलाह से नये ट्रस्टी की नियुक्ति की जायेगी।

6- ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण या गैर-शिक्षण संस्थानो व संस्थाओ का संचालन मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) के निर्देश के अनुसार उसके द्वारा नियुक्त या निर्दिष्ट व्यक्तियो द्वारा किया जायेगा।

7- ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के अंतर्गत किसी भी संस्था के कार्यो के लिये किसी भी व्यक्ति के द्वारा किये गये खर्चो तथा बिलो को औचित्य के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास होगा।

8- ट्रस्ट मंडल के किसी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत क्षमता मे किये गये किसी कार्य के लिये ट्रस्ट या अन्य ट्रस्टियो का कोई दायित्व नही होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठकें –

1- वर्ष मे कम से कम तीन बार ट्रस्ट मंडल की आम बैठक होगी इसमे ट्रस्ट मंडल के सभी सदस्यो के अतिरिक्त ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओ व अन्य ईकाइयो के वे सदस्य या पदाधिकारी जिन्हे बुलाया जायेगा, भाग लेगें। इस बैठक की सूचना न्यूनतम एक सप्ताह पहले मुख्य ट्रस्टी द्वारा संबन्धित व्यक्तियो को दे दी जायेगी।

2- ट्रस्ट की आम बैठक के अतिरिक्त मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) किसी भी समय एक सप्ताह की पूर्वसूचना पर ट्रस्ट मंडल संबन्धित व्यक्तियो, संस्थाओ तथा ईकाइयो की बैठक बुला सकेगा।

आकाश सिंह

17

सचिव प्रतिनिधि

सुनने वाला

सुनने वाला

Scanned with OKEN Scanner

UTTAR PRADESH 33AA 669270

7)– ट्रस्ट मंडल के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओ व ट्रस्टो से सहयोग एवं संमर्क स्थापित करना।

2– राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा अन्य सरकारी, गैर–सरकारी श्रोतो से या व्यक्तियों से सहायता प्राप्त करना।

3– ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिये ट्रस्ट की गठित ईकाइयो के रूप मे संस्थाओ इत्यादि की स्थापना करना।

4– ट्रस्ट के अधीन गठित संस्थाओ व अन्य ईकाइयों की सदस्यता तथा अन्य विषयों के लिये नीति–निर्धारण करना तथा ऐसी संस्थाओ व अन्य ईकाइयो इत्यादि की आवश्यकता के लिये धन तथा आय के श्रोतो का प्रबन्ध करना।

5– ट्रस्ट की संपत्ति की देखमाल करना तथा इसकी अभिवृद्धि के लिये प्रयास करना।

1) ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु संस्थाओ के अतिरिक्त अन्य ईकाइओं जैसे विद्यालयो, चिकित्सालयों, गौशालाओं, प्रशिक्षण केन्द्रों एवं अन्य सेवा केन्द्रों इत्यादि की स्थापना तथा संचालन करना।

2) ट्रस्ट की अधीनस्थ ईकाइयों मे अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियो मे उनके संचालन के लिये गठित समितियों को भंग कर उनकी समस्त व्यवस्था ट्रस्ट मे निहीत करना।

18 अमल / हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 33AA 669260

3– ट्रस्ट तथा ट्रस्ट की अधीनस्थ संस्थाओ तथा अन्य ईकाइयो की स्थापना तथा संचालन के लिये आवश्यक सभी कार्यो को निष्पादित करना तथा इसके लिये मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) के निर्देशानुसार किसी व्यक्ति या विशेषज्ञ को सेवा इत्यादि के लिये अनुबंधित करना।

4– ब्याज, लाभान्स तथा आय न्यास कोष का वसूल करे तथा उससे वसूली करने का खर्च तथा अन्य अकस्मिक व्यय यदि कोई हो तो अदा करे।

5– ऐसे समाज की रचना करना जिसमें बिना किसी जाति विश्वास अथवा धर्म के भेद भाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान स्तर की उपलब्धि प्राप्त हो सके।

6– ट्रस्ट तथा ट्रस्ट की अधीनस्थ संस्थाओ तथा अन्य ईकाइयो के संचालन या अन्य किसी अनिर्दिष्ट परिस्थितियो के उत्पन्न होने या निर्देश स्पष्ट न होने पर मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) से निर्देश प्राप्त करना तथा ऐसे निर्देशो का सद्भावपूर्वक पालन करना।

7– **क) मुख्य ट्रस्टी की शक्तियॉ –**

1– मुख्य ट्रस्टी पूरे ट्रस्ट मंडल का प्रधान होगा उसके निर्देश व निर्णय से ही ट्रस्ट की समस्त व्यवस्था संचालित की जायेगी।

2– मुख्य ट्रस्टी ही ट्रस्ट मंडल के सभी सदस्यो की नियुक्ति करेगा।

3– मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्टी के हितो के विपरीत कार्य करने वाले किसी भी ट्रस्टी को पदच्युत करने मे सक्षम होगा।

4– ट्रस्ट के सुचारू संचालन के लिये मुख्य ट्रस्टी द्वारा किसी भी दायित्व का प्रत्यायोजन ट्रस्ट मंडल के किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्ति को किया जा सकेगा।

19 आनन्दा सिंह

सुनने वाला

सुनने वाला

उप निबन्धक

Scanned with OKEN Scanner

5– मुख्य ट्रस्टी किसी भी दायित्व के साथ शक्तियां भी प्रत्यायोजित कर सकेगा परन्तु ऐसा प्रत्यायोजन सदैव लिखित होगा तथा वापस लिया जा सकेगा। इस संबंध मे मुख्य ट्रस्टी किसी कार्य विशेष या कार्यो की श्रृंखला के लिये किसी व्यक्ति या ट्रस्टी को ट्रस्ट की ओर से सविदा, संव्यवहार या सेवायोजन करने के लिए भी अधिकृत कर सकेगा। ऐसा अधिकृत व्यक्ति ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी के निर्देशो के अधीन रहते हुए हस्ताक्षर इत्यादि भी कर सकेगा।

6– मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) ट्रस्ट के लिये संपत्ति कय कर सकेगा तथा ट्रस्ट के हितो मे आवश्यक होने पर विक्रय या अन्तरित भी कर सकेगा तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक व वित्तीय संस्था में बन्धक रखकर ट्रस्ट के विकास के बावत ऋण ले सकता है।

7– मुख्य ट्रस्टी ही ट्रस्ट की अधीनस्थ, ईकाइयो मे भी पदाधिकारियो, सदस्यो इत्यादि की नियुक्ति करेगा। ऐसी समस्त नियुक्तिया मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा आवश्यक समझे जाने पर निरस्त भी की जा सकेगा तथा ऐसे समस्त सदस्य, पदाधिकारी, संस्थाये व इकाइयॉ मुख्य ट्रस्टी के अधीन सदभाव पूर्वक कार्य निष्पादन करेगें। कार्य निष्पादन मे सदभावना या कार्यकुशलता का आभाव प्रतीत होने पर मुख्य ट्रस्टी द्वारा ऐसे सदस्यो,पदाधिकारियो, कर्मचारियो अथवा नियोजित व्यक्तियों को किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।

8– मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्ट तथा इसकी संस्थाओं व अन्य ईकाइयो के संचालन के लिये नियम बनाना तथा संसोधित कर सकेगा।

आकाश सिंह पद से वादी

सुनने वाला

उप निबन्धक

Scanned with OKEN Scanner

9– ट्रस्ट, इसकी संस्थाओ व अन्य ईकाइयो के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी अन्य अनिर्णय या विवाद की स्थिति मे मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

7– ख) मुख्य ट्रस्टी के कर्तव्य :–

1– ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी तथा ट्रस्ट द्वारा स्थापित सभी संस्थाओ व ईकाइयो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप मे कार्य करना।

2– ट्रस्ट की बैठके आहुत करना तथा इसकी पूर्व सूचना सभी संबन्धित व्यक्तियो को देना।

3– ट्रस्ट की कार्यवाहियों को लेखाबद्ध कराना।

4– ट्रस्ट की सभी चल–अचल संपत्तियों की रक्षा करना। इस हेतु आवश्यक होने पर विधिक कार्यवाही करना तथा इस निमित्त परामर्श लेना, विलेख निष्पादित करना, किसी अधिवक्ता की सेवायें लेना तथा ट्रस्ट के मुकदमे की पैरवी करना।

5– ट्रस्ट की संपत्तियों में वृद्धि के लिये यथोचित प्रयास करना, इस निमित शेयर, ऋण पत्र,राष्ट्रिय बचत पत्र, सावधि जमा खाना इत्यादि में निवेश करना।

6– ट्रस्ट के लिये दान, सहायता अथवा अन्यथा प्राप्त धनराशि को प्राप्त करना तथा उसकी रसीद देना।

7– ट्रस्ट की बैठको की अध्यक्षयता करना ।

8– ट्रस्ट के समस्त आय–व्यय का लेखा रखना तथा लेखा परीक्षण कराना।

21 भानु सिंह

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक

Scanned with OKEN Scanner

9– ट्रस्ट, इसकी अधीनस्थ संस्थाओ व अय ईकाइयो के समुचित संचालन के लिये आवश्यक नियम बनाना।

10– ट्रस्ट तथा इसकी संस्थाओ अन्य ईकाइयो के लिये बनाये गये नियमो से ट्रस्ट मंडल को अवगत कराना।

11– इस विलेख द्वारा प्रतिबन्धो के अधीन न्यासीगण इस न्यास की सम्पत्ति से प्राप्त आमदनी से भारत तथा विदेश में इसके उद्देश्यो की पूर्ति हेतु खर्च करने के लिए उपयोग कर सकता है जहाँ तक की सम्भव हो वे इस बात को ध्यान में रखेगे की आयकर अधिनियम सन् 1961 की धारा (11) अथवा अन्य किसी समय–समय पर जारी अधिनियम के अधीन कर में छूट प्राप्त करके इस सम्पत्ति को हानी से बचा सके।

12– यदि ट्रस्ट मंण्डल के कोष को भारत के बाहर निवेस करना हो तो इस आशय की अनुमति डायरेक्ट टैक्स की केन्द्रीय परिषद से पूर्व में प्राप्त कर ले।

13– न्यासीगण न्यास के उपयोग तथा लाभ हेतु यदि आवश्यकता हो जिससे न्यास का लाभ हो सके, के लिए किन्ही शर्तो पर जमानत देकर अथवा अन्य प्रकार से धन प्राप्त करे अथवा ऋण हासिल कर सकते है।

14– न्यासी किसी व्यक्ति, निगम, संस्था, राज्य एवं केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य न्यास से दान, अन्शदान, उपहार या भेट स्वीकार कर सकते है यह सब किसी भी रूप में स्वीकार किये जा सकते है चाहे वे किसी प्रकार की चल या अचल

Scanned with OKEN Scanner

सम्पत्ति हो परन्तु ऐसी किसी दान, अनुदान आदि को प्राप्त करने हेतु उसका कारण निधारित करने के लिए बिना मात्र अपने विवेक से नही स्वीकार करेगे ऐसी सभी सम्पत्तियाँ चल अथवा अचल इस प्रकार से प्राप्त होने के पश्चात वे या तो ट्रस्ट की सम्पत्ति का अंश होगी अथवा दानकर्ता की इच्छानुसार रहेगी ऐसे दान यदि स्वीकार कर लिए गये तो उनका विनियोग तथा निस्तारण न्यासियो के निर्णय के अनुसार इस विलेख के उपनियमो तथा शर्तो की सीमा के अन्दर ही सदा किया जायेगा।

8- ट्रस्ट का कोष –

1- ट्रस्ट के कोष की सुचारू व्यवस्था के लिये ट्रस्ट के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में खाता खोला जायेगा जिसमे ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त धनराशियाँ निहित होगी।

2- मुख्य ट्रस्टी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर एक से अधिक खाते भी ट्रस्ट के नाम से खोले जा सकेंगें।

3- ट्रस्ट के सभी खातो का संचालन मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) श्री आकाश सिंह व ट्रस्ट मण्डल की सचिव श्री राकेश शाही के संयुक्त हस्ताक्षरो से खाते का संचालन किया जायेगा और यही व्यवस्थाए आने वाले समय मे मान्य होगा।

आकाश सिंह

पद ने वाला

सुनने वाला

Scanned with OKEN Scanner

4– मुख्य न्यासी सम्पत्तियो, देनदारियां तथा आमदनी य खर्च जो न्यास से सम्बन्धित हो का सही खाता का रख रखाव करायेगे तथा वर्ष में एक बार उसकी जॉच लेखा परीक्षण से करायेगे तथा उक्त खातो एवं बैलेन्सीट का सत्यापन किसी ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड द्वारा किया जायेगा जिनकी नियुक्ति न्यासियो द्वारा तन्खाह पर अथवा अन्य रूप से की गई हो, कराया जावेगा ऐसे वार्षिक लेखा विवरण की लेखा परीक्षण न्यासियो द्वारा अंगीकृत एवं हस्ताक्षरित जैसे ही ये पूर्ण हो किया जायेगा।

9) ट्रस्ट की परिसंपत्तियॉ–ट्रस्ट की संपत्तियो की व्यवस्था निम्नलिखित रीति से की जायेगी–

1– ट्रस्ट के उद्देश्यो के कियान्वयन हेतु मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा व्यक्तियो, वित्तीय संस्थाओ, राष्ट्रीकृत बैंको या सरकार से दान सहायता या ऋण लिया जा सकेगा। ट्रस्ट की आय बढाने के लिये किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से प्रयास किये जा सकेंगें। ट्रस्ट की आय के निम्नलिखित प्रमुख श्रोत होंगे –

क– देशी एवं विदेशी व्यक्तियो, संस्थाओ से दान, चंदा व ऋण।

ख– सरकारी या गैर सरकारी अनुदान।

ग– कृषि।

घ– देशी एवं विदेशी बैंको, वित्तीय संस्थाओ व व्यक्तियो से ऋण।

आकाश सिंह

सुनने वाला

भारत सरकार
Government of India

आकाश सिंह
Akash Singh
जन्म तिथि/DOB: 16/09/1998
पुरुष/ MALE

3493 2998 5239

मेरा आधार, मेरी पहचान

Unique Identification Authority of India

Address:
S/O: Rajesh Singh, Village - Jogiya Dehat, Dhughuli Bazaar, Maharajganj, Uttar Pradesh - 273151

पता:
आत्मज: राजेश सिंह, ग्राम - जोगिया देहात, धुधुली बाजार, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश - 273151

3493 2998 5239

आकाश सिंह

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
पहचान पत्र
IDENTITY CARD
UP/38/183/306247

निर्वाचक का नाम : अलिउल्ला
Elector's Name : Aliulla
पिता/माता/पति का नाम : खलील
Father's/Mother's/ Husband's Name : Khalil
लिंग / Sex : पुरुष Male
1.1.1995 को आयु : 25
Age as on 1.1.1995

आलिउल्ला सिद्दी

पता
मकां. : 320
ग्राम/मोहल्ला : रामपुर बलवीडा
तहसील : महराजगंज
जिला : महराजगंज
Address
H.No. : 320
Vill/Mohalla : Rampur Baldiha
Tehsil : Maharajganj
Dist. : Maharajganj

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर की अनुकृति
निर्वाचन क्षेत्र 193—श्यामदेउरवा
Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 193-Shyamdeurwa A.C.

स्थान : महराजगंज
Place : Maharajganj
दिनांक
Date : 01/06/95

इस पत्र को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes.

अलिउल्ला

Scanned with OKEN Scanner

46AD 119148

घोषणा

ट्रस्ट की ओर से मै श्री आकाश सिंह मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) के रूप में यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्याय पत्र लिखवाकर, पढ़कर व समझकर, स्वास्थ्य मन व चित् से स्वेच्छा से निबंधन हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण:

1- अर्जुन यादव S/o छविलाल नि० धुधर्नी
महराजगंज 9936787045

2- मंतिउल्लाह पुत्र खलील
सा० रामपुर गड्डीहर
थाना मझौवा
जिला महराजगंज
मो 9616505062

हस्ताक्षर मुख्य ट्रस्टी
आकाश सिंह
आकाश सिंह

श्रीप्रकाश यादव एडवोकेट

मजमूनकर्ता
(श्रीप्रकाश यादव)
कलक्ट्रेट कचहरी.महराजगंज .

27

पढ़ने वाला
सुनने वाला

Scanned with OKEN Scanner

4– ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओ व अन्य इकाइयों के पदाधिकारियो की नियुक्ति तथा सेवा शर्तो के सम्बन्ध में मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) के कार्यो के लिये वैतनिक अथवा शुल्क–ग्राही कर्मचारियों या विशेषज्ञों की सेवाये ली जा सकेगी।

5– ट्रस्ट के अधीन किसी संस्था या इकाई में पद सम्बन्धी अथवा विवाद उत्पन्न होने पर मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा किसी न्यायालयीय विवाद की स्थिति में वाद लम्बित रहने तक ऐसी संस्था की परिसंपत्तियों ट्रस्ट में निहित रहेंगी।

6– ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी विधिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, मुख्य ट्रस्टी द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी। मुख्य ट्रस्टी स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिवक्ता भी नियुक्त कर सकेगा।

7– ट्रस्ट के आय–व्यय व लेखा परीक्षा के लिये मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगा।

8– ट्रस्ट मंण्डल, मुख्य ट्रस्टी के निर्देशानुसार वे सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति में सहायक हों।

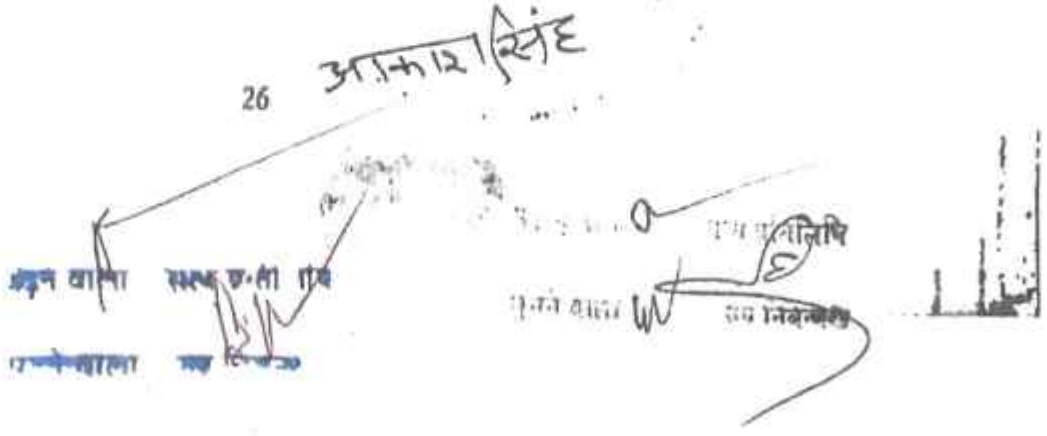

Scanned with OKEN Scanner

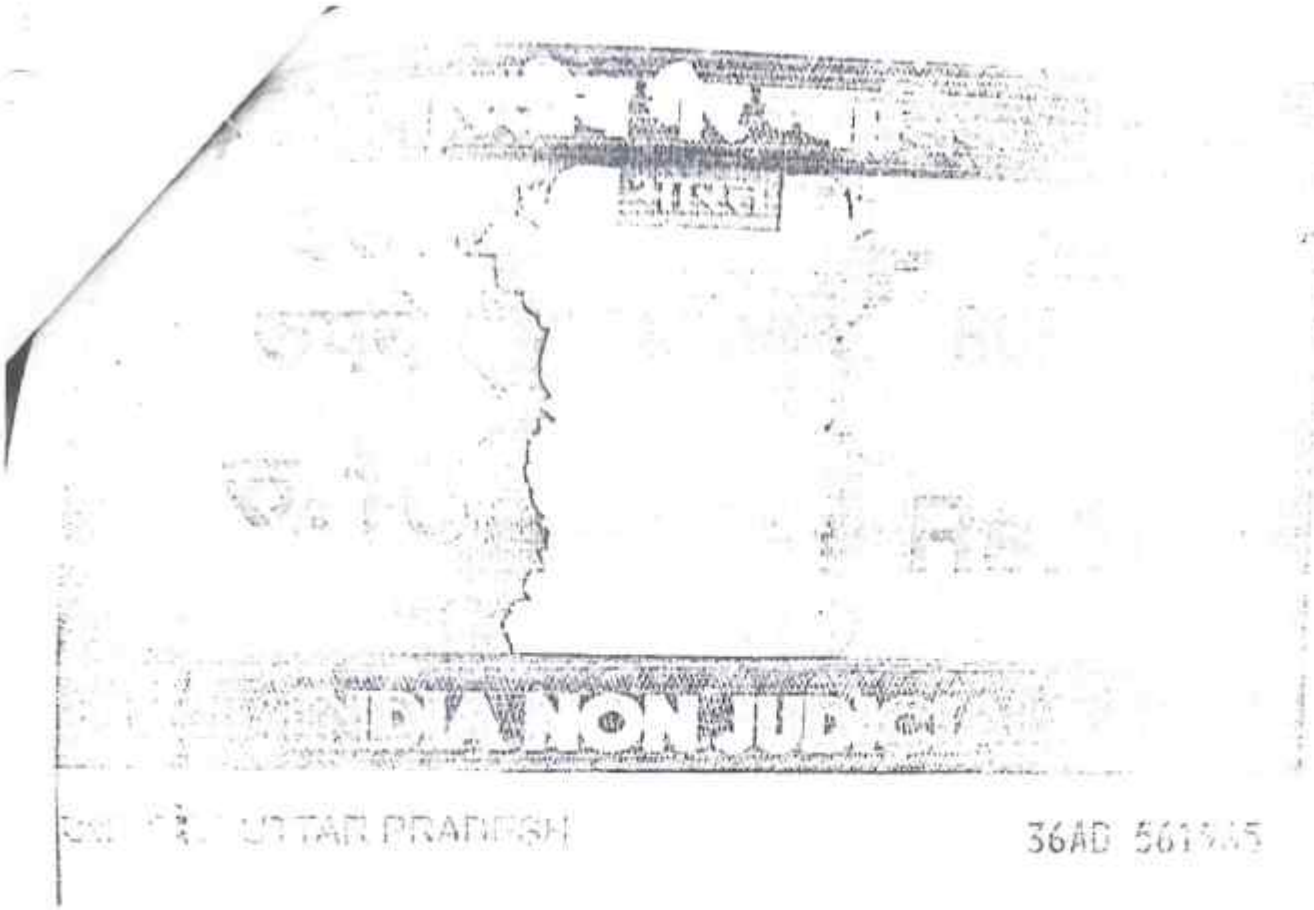

ड– फिक्स डिपाजिट, ऋण पत्रो से ब्याज, शेयर, म्युच्युअल फंड, बांड्स इत्यादि से लाभांश।
च– भूमि, भवन, परिसर , वाहन या उपकरणो के किराये से आय।
छ– कोई अन्य श्रोतो या ऐसा श्रोत जो ट्रस्ट के लिये उपयुक्त हो।

10) ट्रस्ट के अभिलेख –

1– ट्रस्ट के अभिलेख तैयार कराने का दायित्व ट्रस्ट के सचिव की होगी इसके लिए मुख्य रूप से सूचना रजिस्टर, बैठक कार्यवाही रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर, लेखा रजिस्टर, मुख्य ट्रस्टी द्वारा जारी नियमावली का रजिस्टर इत्यादि सम्मिलित होंगे।

2– अभिलेख तैयार कराने के लिये मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा की जायेगी तथा मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) सचिव को अधिकृत कर सकेगा तथा वैतनिक कर्मचारियो की नियुक्ति कर सकेगा।

2– मुख्य ट्रस्टी :– मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) इसकी संस्थाओ व ईकाइयो के कार्यो के लिये भूमि, भवन वाहन या आवश्यक उपकरण खरीद सकेगा या किसी चल–अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा, मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्तियों को किराये पर दे सकेगा या विक्रय कर सकेगा।

3– ट्रस्ट की संपत्तियो को नुकसान पहुँचाने वाले को दंडित करने का अधिकार ट्रस्ट मंण्डल के मुख्य न्यासी (अध्यक्ष) को प्राप्त होगा।

Scanned with OKEN Scanner